उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–14/2024–25

LIC HOUSING FINANCE LIMITED

बनाम्

MR. JAGESHWAR TURI

–: आदेश :–

25.09.2024

प्राधिकृत पदाधिकारी, LIC HOUSING FINANCE LIMITED, 2nd Floor Biscoman Tower, Gandhi Maidan (West), Patna Bihar-800001 के द्वारा धारा–14 (1) and (2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी विपक्षी Mr.Jageshwar Turi W/o Sohan Turi Vill.- House No. 203 Pichhari, P.O.- Pichhari, Dist. Bokaro Jharkhand- 829144 के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष प्रथम पक्ष LIC HOUSING FINANCE LIMITED की ओर से श्री अभय शंकर के द्वारा दलील दी गई कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (All that part and parcel of the property consisting of Land through Sale Deed No. 818 Dated 17.02.2003, Mauza- Banga Subdivision- Bermo, Anchal Peterwar, Halka- 9, Thana No. 49 Khata No. 123 Plot No. 2714, Page No. 136 Area- 5 Decimal District Bokaro in the name of Mr.Jageshwar Turi W/o Sohan Turi.) को गिरवी रखते हुए HFL से रूपये 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख) मात्र ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋृण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–15.07.2018 को ही एन0पी0ए0 हो गया

25/09

है। दिनांक–03.11.2022 तक ऋणकर्त्ता पर कुल रूपये 22,96,397.75/– के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा–14 (1) and (2) के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी के HFL में गिरवी रखे गए सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इस हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है। उनके द्वारा अब तक अपने बचाव में किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा/लिखित जबाब दाखिल नहीं किया गया है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि LIC HOUSING FINANCE LIMITED के द्वारा विपक्षी से ऋण की वापसी हेतु SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। उसके बाद भी उनके द्वारा ऋण की वापसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहना और अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण–पृच्छा/लिखित जबाब दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, LIC HOUSING FINANCE LIMITED, 2nd Floor Biscoman Tower, Gandhi Maidan (West), Patna Bihar-800001 द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु

397.

पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमों (तेनुघाट) आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

25/09 25/09

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

स्थानः– बोकारो।
दिनांकः– 25/09/2024

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2024.12.21 21:10:04 +05:30
Location: 192.168.230.234